न्यायालय जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट दूदू

बइजलास :- डॉ. आर्तिका शुक्ला (आई.ए.एस.)

प्रकरण संख्या 29/2022 पुनः दर्ज नम्बर 06/2023

राज्य सरकार जरिये श्री राजेश बंसल प्रवर्तन अधिकारी दूदू

(प्रार्थी)

बनाम

मैसर्स राहत गैस चूल्हा मालपुरा रोड दूदू प्रोपराइटर फियाज शेख पुत्र श्री याकुब शेख निवासी गणेश कॉलोनी दूदू

(अप्रार्थीगण)

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 6 ए आवश्यक वस्तु अधिनियम 1956 के तहत जब्त शुदा 10 घरेलू गैस सिलेण्डर मय एलपीजी 65.900 किलोग्राम को राजसात करने बाबत।

उपस्थित :--

1. विभागीय पैरोकार रसद प्रार्थी की ओर से ।
2. श्री इश्तियाद मोहम्मद अधिवक्ता अप्रार्थी की ओर से।

जिला कलक्टर
दूदू (राज0)

Scanned with OKEN Scanner

निर्णय

दिनांक :– 16.01.2024

1. संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि सम्पर्क पोर्टल पर परिवाद संख्या 082203013506227 दर्ज इस बाबत हुआ कि ग्राम दूदू में मालपुरा रोड पर मैसर्स राहत गैस चूल्हा के प्रोपराईटर फियाज शेख पुत्र श्री याकुब शेख निवासी गणेश कॉलोनी दूदू के द्वारा घरेलू गैस सलेण्डरों का अवैध व्यवसाय एवं भण्डारण किया जाता है, जिससे कभी भी जन धन की हानि हो सकती है। जिस पर बहमराह प्रवर्तन स्टॉफ के गठित जॉच दल द्वारा दिनांक 25.8.2022 को मौके पर पहूंच कर, मैसर्स राहत गैस चूल्हा पर फियाज शेख पुत्र याकुब शेख निवासी गणेश कॉलोनी दूदू एवं रूबरू मौतबिरान जॉच की गई। जॉच में उक्त दुकान पर 14.2 किलोग्राम क्षमता के एचपीसीएल कम्पनी के 01 भरे 01 खाली कुल 02 सिलेण्डर, आईओसीएल के 03 भरे एवं बीपीसीएल का 02 भरा सिलेण्डर रखे हुए पाए गये। इसके अलावा मौके पर 03 किलोग्राम क्षमता के 03 नॉन आईएसआई खाली सिलेण्डर रखे हुए पाये गये। इस प्रकार मौके पर कुल 10 सिलेण्डर जिनमें 65.900 किलोग्राम गैस भरी हुई थी रखे हुए पाये गये। मौके पर फर्म मालिक द्वारा उक्त घरेलू गैस सिलेण्डरो के कब्जे में रखे जाने बाबत कोई संतोषप्रद जवाब प्रस्तुत नही किया गया न ही कोई वैद्य दस्तावेज प्रस्तुत किये गये। इस प्रकार मौके पर श्री फियाज शेख द्वारा घरेलू गैस सिलेण्डरो का अवैध व्यवसाय एवं भण्डारण कर द एलपीजी आर्डर 2000 के प्रावधानो का उल्लघंन किया जाना पाये जाने पर उक्त सभी सिलेण्डरो को कब्जे राज लिया जाकर दूदू इण्डेन ग्रामीण वितरक दूदू के प्रतिनिधि श्री रवि मौर्य की सुपुर्दगी में दिये गये। अतः जब्त 10 घरेलू गैस सिलेण्डर मय 65.900 किलोग्राम को राजसात करने के आदेश प्रदान करने एवं जब्त गैस सिलेण्डर की एलपीजी ज्वलनशील, विस्फोटक एवं जनहित के काम आने वाली वस्तु होने से धारा 6–ए (2) आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत अन्तरिम निस्तारण के आदेश प्रदान करने की इस्तदुआ की हैं।

2. प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 6–ए आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया। विभागीय पैरोकार के निवेदन पर जब्त सिलेण्डर की एलपीजी ज्वलनशील, विस्फोटक एवं जनहित की वस्तु होने से धारा 6–ए (2) के तहत अन्तरिम निस्तारण के आदेश दिनांक 29.9.2022 को पारित किये जाकर जिला रसद अधिकारी जयपुर द्वितीय को निर्देशित किया गया कि जब्त सिलेण्डर का नियमानुसार अन्तरिम निस्तारण करा कर पालना प्रतिवेदन भिजवावे। नवसृजित जिला दूदू का गठन होने से प्रकरण इस न्यायालय के क्षैत्राधिकार का होने से इस न्यायालय में प्राप्त होने प्रकरण को पुनः दर्ज रजिस्टर किया गया। अप्राथी की तलवी जारी की गई। अप्रार्थी की और से श्री इश्तियाद मोहम्मद अधिवक्ता ने उपस्थित होकर वकालतनामा पेश किया। जवाब पेश नही कर सीधे ही बहस सुनने का निवेदन किया गया।

न्यायालय जिला कलक्टर, दूदू (राज0)

जिला कलक्टर
दूदू (राज0)

3. बहस उभयपक्ष सुनी गई।

4. प्रार्थी की और से पैराकार रसद ने दौराने बहस प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि जॉच में उक्त दुकान पर 14.2 किलोग्राम क्षमता के एचपीसीएल कम्पनी के 01 भरे 01 खाली कुल 02 सिलेण्डर, आईओसीएल के 03 भरे एवं बीपीसीएल का 02 भरा सिलेण्डर रखे हुए पाए गये। इसके अलावा मौके पर 03 किलोग्राम क्षमता के 03 नॉन आईएसआई खाली सिलेण्डर रखे हुए पाये गये। इस प्रकार मौके पर कुल 10 सिलेण्डर जिनमें 65.900 किलोग्राम गैस भरी हुई थी। मोके पर फर्म मालिक द्वारा उक्त घरेलू सिलेण्डरो को कब्जे मे रखे जाने बाबत कोई संतोषप्रद जवाब प्रस्तुत नही किया गया, न ही उक्त सिलेण्डर्स के कब्जे में रखे जाने बाबत कोई वैध दस्तावेज प्रस्तुत किये गये। इस प्रकार मौके पर अप्रार्थी श्री फियाज शेख पुत्र श्री याकुब शेख निवासी गणेश कॉलोनी दूदू द्वारा घरेलू गैस सिलेण्डरो का अवैध व्यवसाय एवं भण्डारण कर द्रविकृत पेट्रोलियम गैस (प्रदाय और वितरणका विनियमन) आदेश 2000 के प्रावधानो का उल्लघंन किया गया है। उक्त कृत्य के पीछे अप्रार्थी की अवैध मुनाफा की आपराधिक मनः स्थिति एवं बदनीयती साबित होती है इसलिए उक्त घरेलू गैस सिलेण्डर मय एलपीजी को राजसात किये जाने के आदेश फरमावे।

5. अप्रार्थी ने उक्त तर्को का खण्डन करते हुए निवेदन किया कि अप्रार्थी के कब्जे से जब्त घरेलू गैस सिलेण्डर मे से दो घरेलू गैस सिलेण्डर स्वंय के ही भरवाने हेतु रखे हुए थे तथा दो सिलेण्डर प्रार्थी के चाचा के लडके के रखे हुए थे, चाचा का लडका कमाने खाने के हिसाब से बहार रहता है घर पर उसकी पत्नी अकेली रहने के कारण प्रार्थी की दुकान पर रख दिये गये थे। एक सिलेण्डर प्रार्थी की पडौसी महिला कविता कंवर का रखा हुआ था। दो गैस सिलेण्डर प्रार्थी के पडौसी सुरेश कुमार जो कि चालक का काम करता है उसकी बुकिंग भीलवाडा की हो गई थी उसने भी बताया कि मेरी भी दो टंकिया भरवा देना तब प्रार्थी ने आपसी व्यवहार के चलते उसके भी दो सिलेण्डर रखे लिये थे। तीन छोटे नॉन आईएसआई के खाली सिलेण्डर रखे हुऐ थे जो प्रार्थी के पास रिपेरिंग के लिए रखे हुए थे। इस प्रकार प्रार्थी के पास आस पास के पडौसियो के गैस भरवाने के लिए रखे हुए थे। अप्रार्थी गैस चूल्हे रिपेरिंग का कार्य करता है। इसलिए आस पास के कॉलोनी के लोग गैस भरवाने के लिए रख दिये गये थे। इसी दौरान प्रर्वतन निरीक्षक साहब मेरी दुकान के सामने से निकले तो उक्त सिलेण्डरो को जब्त करके गलत तरीके से केस बना दिया गया है। अप्रार्थी गरीब व्यक्ति है। अप्रार्थी द्वारा द्रविकृत पेट्रोलियम गैस (प्रदाय और वितरण का विनियमन) आदेश 2000 का उल्लघंन नही किया गया है। इसलिए जब्त घरेलू गैस सिलेण्डर रिलीज किये जाने के आदेश फरमावे।

6. उभयपक्ष की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली एवं फर्द मौका जब्ती दिनांक 25.8.2022 का भलीभांति अवलोकन एवं अध्ययन किया गया।

जिला कलक्टर
दूदू (राज0)

7. फर्द मौका जब्ती के अनुसार मौके पर कुल 10 घरेलू गैस सिलेण्डर मय 65.900 किलोग्राम एल पी जी के मिले है। अप्रार्थी ने जब्त किये गये सिलेण्डर्स पडौसियो एवं स्वंय के होना बताया है। जिसके समर्थन में उपभोक्ताओ की गैस की डायरियो की फोटो प्रति भी पेश की है। अप्रार्थी गैस चूल्हा रिपेरिंग का कार्य करता है। उक्त कृत्य के पीछे अप्रार्थी की अवैध मुनाफा की आपराधिक मनःस्थिति एवं बदनीयति सिद्व नही होती है। इसलिए जब्त सिलेण्डर्स को रिलीज किया जाना वाजिब समझते है।

8 उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र धारा 6 ए आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 अस्वीकार किया जाता है। अप्रार्थी के कब्जे से जब्त 10 घेरलू सिलेण्डर्स लोटाये जाने के आदेश दिये जाते है।

9.निर्णय की प्रति हस्ब कायदा जिला रसद अधिकारी दूदू को प्रेषित हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज नम्बर से कम हो।

10. निर्णय आज दिनांक 16.01.2024 को सरे इजलास सुनाया गया।

(डॉ0 अर्तिका शुक्ला)
जिला कलक्टर
दूदू

जिला कलक्टर
दूदू (राज0)

न्यायालय जिला कलक्टर दूदू (राज0)